

न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी (अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट) बांसवाडा (राजस्थान)
पीठासीन अधिकारी – अभिषेक गोयल, RAS

प्रकरण संख्या : 22/2024
रजिस्ट्रेशन नं. :2024/24

अभियुक्त :-

राजस्थान राज्य जरिये
खाद्य सुरक्षा अधिकारी
बांसवाडा (राज)

बनाम

1. श्री मोईनुद्दीन मनसुरी पुत्र श्री अब्दुल गनी,
मैसर्स:- एजाज सुपर मार्ट अपोजिट न्यू बस
स्टेण्ड, बांसवाडा (राज) फोन नं. 7023556120
2. श्री संजय कुमार मोदी पुत्र श्री कुरीचंद मैसर्स:-
शुभम डिस्ट्रीब्यूटर, 6/166 खान्दु कोलोनी,
बांसवाडा मो.नं. 7737781439
3. श्री कृष्ण अवतार खंडेलवाल पुत्र श्री राधेश्याम
खंडेलवाल मैसर्स:- पिंक सिटी मीलस, 93
झालानियों का रास्ता किशनपोल बाजार, जयपुर
302001 मो.नं. 9001572195 (पार्टनर/
साजेदारी) लल्लू लाल गुप्ता पुत्र श्री राधेश्याम-
मैसर्स:- पिंक सिटी मीलस, 93 झालानियों का
रास्ता किशनपोल बाजार, जयपुर 302001 मो.नं.
9829016211

अपराध अन्तर्गत धारा 26 की उपधारा 2(ii) खाद्य सुरक्षा एवं मानक
अधिनियम 2006, नियम 2011

निर्णय

दिनांक 13-05-2024


संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि श्री उम्मेद मल टेलर खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बांसवाडा (राज.) के द्वारा दिनांक 02-02-2024 को यह प्रकरण इस आशय का पेश किया गया कि दिनांक 15-02-2023 को दौराने गश्त 4.00 पी.एम. बजे बाहैसियत खाद्य सुरक्षा अधिकारी खाद्य पदार्थों की जाँच हेतु मैसर्स एजाज सुपर मार्ट अपोजिट न्यू बस स्टेण्ड, बांसवाडा (राज) पर पहुंचा तो वहाँ पर श्री मोईनुद्दीन मनसुरी पुत्र श्री अब्दुल गनी मिले, उन्होंने बताया कि वह मालिक है। विक्रेता एवं गवाहान की उपस्थिति में मैसर्स एजाज सुपर मार्ट अपोजिट न्यू बस स्टेण्ड, बांसवाडा का निरीक्षण करने पर दुकान में हल्दी पाउडर (पिंक सिटी) 12 पैके प्रत्येक पैकेट 500 ग्राम का विक्रय हेतु रखा था। हल्दी पाउडर (पिंक सिटी) में मिलावट का शक होने पर विक्रेता को गवाहान की उपस्थिति में फार्म

न्याय निर्णयन अधिकारी
(अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट)
बांसवाडा (राज)

नं.5ए पर सूचना देते हुए हल्दी पाउडर (पिंक सिटी) के 4 पैकेट प्रत्येक में 500 ग्राम कुल 2 किग्रा वास्ते नमूना जाँच हेतु खरीदा तथा इनकी कीमत 440/- रु. विक्रेता को नगद चुका कर रसीद प्राप्त की। जिस पर विक्रेता तथा गवाहान के हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक कर स्वयं खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये। नमूना जाँच हेतु खरीदशुदा हल्दी पाउडर (पिंक सिटी) के 4 पैकेट प्रत्येक में 500 ग्राम कुल 2 किग्रा के चार नमूना भाग तैयार कर प्रत्येक भाग पर तैयार किये गये लेबल, जिस पर डी.ओ एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बॉसवाडा का कोड क्रमांक **W-1302** प्रत्येक नमूना भाग पर चिपकाकर प्रत्येक नमूना भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपडी व सील बंद किया गया। प्रत्येक नमूना भाग पर मालिक एवं गवाह के हस्ताक्षर करवाये। सील बंद नमूनों पर गवाहों के हस्ताक्षर कराकर नमूने का सम्पूर्ण विवरण लिखकर हस्ताक्षर कर चारों नमूना भागों को अपने जाप्ते में लिया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर मौका फर्द रिपोर्ट तैयार कर विक्रेता एवं गवाहान को पढकर, सुनाकर, हस्ताक्षर करने को कहा, जिन्होंने स्वयं ने भी पढकर, सुनकर, समझकर एवं सही मानकर हस्ताक्षर किये स्वयं खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने भी हस्ताक्षर किये।

कार्यालय पहुचकर फार्म नंबर 6 की प्रतियाँ तैयार की प्रत्येक पर सील मोहर कर एक नमूना मय फार्म न. 6 की एक प्रति आउटर कवर में चपडी से सील मोहर कर, दो फार्म न. 6 की प्रति अलग से एक लिफाफा में बन्द कर, चपडी से सील मोहर कर दो सीलबन्द नमूना तथा शेष नमूने का चौथा भाग मय फार्म नं. 6 की प्रतिया आउटर कवर में चपडी से सील बन्द कर, सील मोहर कर अभिहित अधिकारी खाद्य सुरक्षा एवं मुख्य चिकि. एवं स्वा. अधिकारी, बॉसवाडा एवं खाद्य विश्लेषक, जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला बॉसवाडा को जमा करवाया।

अभिहित अधिकारी खाद्य सुरक्षा एवं मुख्य चिकि. एवं स्वा. अधिकारी, बॉसवाडा के पत्रांक एफ.एस.एस.ए/2023/158 दिनांक 01-03-2023 एव खाद्य विश्लेषक, जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला बॉसवाडा से प्राप्त जांच रिपोर्ट क्रमांक 159 दिनांक 27-02-2023 अनुसार विक्रेता से वास्ते नमूना जांच हेतु क्रय किया गया हल्दी पाउडर (पिंक सिटी) का नमूना कोड क्रमांक **W-1302** Misbranded food under section 3(1)(zf)(c)(i) of food safety and standers act 2006 पाया गया। जिसकी सूचना विक्रेता/मालिक को दी गई। श्री मोईनुद्दीन मनसुरी पुत्र श्री अब्दुल



खाद्य सुरक्षा अधिकारी
(नियंत्रित एवं प्रमाणित)
बॉसवाडा (राज.)

गनी ने नमूने की पुनः जाँच हेतु अपील नहीं की है। फर्म के मालिक श्री मोईनुद्दीन मनसुरी पुत्र श्री अब्दुल गनी को पत्र लिखकर फर्म से सम्बन्धित सूचना चाहने एवं उक्त खाद्य पदार्थ हल्दी पाउडर (पिंक सिटी) किसी अन्य फर्म से खरीदा है तो अग्रिम माल बिल खरीद की सूचना के लिये पत्र लिखा, जिस पर विक्रेता ने हल्दी पाउडर (पिंक सिटी) मैसर्स:- शुभम डिस्ट्रीब्यूटर, 6/166 खान्दु कोलोनी, बांसवाडा का अग्रिम माल खरीद बिल प्रस्तुत किया। मैसर्स:- शुभम डिस्ट्रीब्यूटर, 6/166 खान्दु कोलोनी, बांसवाडा को पत्र लिखकर फर्म से सम्बन्धित सूचना चाहने एवं उक्त खाद्य पदार्थ हल्दी पाउडर (पिंक सिटी) किसी अन्य फर्म से खरीदा है तो अग्रिम माल बिल खरीद की सूचना के लिये पत्र लिखा, जिस पर मैसर्स:- पिंक सिटी मील्ल्स, 93 झालानियों का रास्ता किशनपोल बाजार, जयपुर से खरीद बाबत सूचित किया। विक्रेता द्वारा हल्दी पाउडर (पिंक सिटी) का विक्रय कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन किया है जिस पर उक्त अधिनियम की धारा 52, के अन्तर्गत जुर्माने से दण्डित करने निवेदन किया।

प्रकरण दिनांक 05-02-2024 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर आरोपीगणों को जरिये समन तलब किया गया। दिनांक 27-02-2024, को 1 से 3 की ओर से श्री हैमेन्द्र कुमार जैन अधिवक्ता का अभिभाषक पत्र प्रस्तुत हुआ।

दिनांक 18-03-2024 को अप्रार्थी सं 1 व 2 स्वयं तथा अप्रार्थी सं. 3 की ओर से उनके अधिवक्ता श्री हैमेन्द्र कुमार जैन ने उपस्थित होकर एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अभियुक्तगण अपने पर लगे आरोप स्वीकार करते हैं तथा यह अभियुक्तगणों का प्रथम अपराध है एवं वह इसकी पुनरावृत्ति नहीं करेंगे इस बात के लिये आश्वस्त करते हैं। अभियुक्त न्यायालय के आदेश को स्वीकार करने के लिये तैयार है।

आरोपीगणों की ओर से अपराध स्वीकार किया गया है अतः किसी अन्य साक्ष्य की आवश्यकता प्रतित नहीं होती है। हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं उस पर मनन किया। अभिहित अधिकारी खाद्य सुरक्षा एवं मुख्य चिकि. एवं स्वा. अधिकारी, बांसवाडा के पत्रांक एफ.एस.एस.ए/2023/158 दिनांक 01-03-2023 एवं खाद्य विश्लेषक, जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला बांसवाडा से प्राप्त जांच रिपोर्ट क्रमांक 159 दिनांक 27-02-2023 अनुसार विक्रेता से वास्ते नमूना जांच हेतु क्रय किया गया हल्दी पाउडर (पिंक सिटी) का नमूना कोड क्रमांक



न्याय निर्णय अधिकारी
(खाद्य सुरक्षा अधिकारी)
बांसवाडा (राज.)

W-1302 Misbranded food under section 3(1)(zf)(c)(i) of food safety and standards act 2006 पाया गया है। इस कारण प्रकरण का अंतिम निस्तारण किया जाना हम उचित समझते हैं।

अतः खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 3(1)(zf)(c)(i) के तहत मिसब्रान्ड पाया गया हल्दी पाउडर (पिंक सिटी) को विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन होना पाया गया। जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम-2006 व नियम 2011 की धारा 52 में निर्धारित है। अतः आरोपीगणों को दोष सिद्ध घोषित किया जाकर अप्रार्थी श्री मोईनुद्दीन मनसुरी पुत्र श्री अब्दुल गनी, मैसर्स:- एजाज सुपर मार्ट अपोजिट न्यू बस स्टेण्ड, बांसवाड़ा (राज) को रुपये 5000/- (अक्षरे पाँच हजार रुपया मात्र), श्री संजय कुमार मोदी पुत्र श्री कुरीचंद मैसर्स:- शुभम डिस्ट्रीब्यूटर, 6/166 खान्दु कोलोनी, बांसवाड़ा को रुपये 10000/- (अक्षरे दस हजार रुपया मात्र), श्री कृष्ण अवतार खंडेलवाल पुत्र श्री राधे श्याम खंडेलवाल मैसर्स:- पिंक सिटी मीलस, 93 झालानियों का रास्ता किशनपोल बाजार, जयपुर 302001 मो.नं. 9001572195 (पार्टनर/ साजेदारी) लल्लू लाल गुप्ता पुत्र श्री राधेश्याम- मैसर्स:- पिंक सिटी मीलस, 93 झालानियों का रास्ता किशनपोल बाजार, जयपुर 302001 को रुपये 20000/- (अक्षरे बीस हजार रुपया मात्र) से दण्डित कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक नियम 2011 के 3.1.2 के बिन्दू संख्या 3 में उल्लेखित आय मद 0210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य, 04-लोक स्वास्थ्य, 800-अन्य प्राप्तियां, (03)-खाद्य सुरक्षा कानून के अंतर्गत अनुज्ञा-पत्र शुल्क आदि में उक्त जुर्माना राशि तीन दिवस में राजकोष में जमा कराकर चालान की प्रति इस न्यायालय में पेश करने आदेश जारी किये।

निर्णय आज दिनांक 13-05-2024 खुले न्यायालय सुनाया गया।

(अभिषेक गोयल)
न्याय निर्णयन अधिकारी
(अति० जिला मजिस्ट्रेट)
बांसवाड़ा (राज.)